रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234929
CG-DL-E-07042022-234929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944
No. 265] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 277(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।
2. ये आधिकारिक राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में; नियम 50 में उप-नियम 1 के (क) में,

क. खंड (v) में शब्दों "अनुमोदित लाइसेंस प्लेट विनिर्माताओं या उनके डीलरों" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्लेट विनिर्माताओं या उनके डीलरों" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. आरटी-11036/99/2020-एमवीएल]
अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट.— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.......(अ), दिनांक......... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2022

G.S.R. 277(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL),email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement**.-(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (……amendment) Rules, 2022.
2. They shall come into force on the date of final publication of this notification in the Official Gazette.
3. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules);(a) in rule 50, in sub-rule 1,

a. in clause (v) for the words "approved licence plate manufacturers or their dealers", the following words "licence plate manufacturers or their dealers approved by the State/UT Government" shall be substituted.

[F. No. RT-11036/99/2020-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i),vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. …….. (E) Dated………

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.07 16:29:43 +05'30'